न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

प्रकरण निग. प्र0क0 4395–तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–11–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा अपील प्रकरण कमांक 604/अपील/06–07.

.....

1– रेवती प्रसाद सेन तनय स्व. रामकुमार सेन उम्र 52 वर्ष
2– वेवा राजकली सेन पत्नी स्व. सूर्यभान सेन उम्र 50 वर्ष
3– भूपेन्द्र प्रसाद सेने तनय स्व. सूर्यभान सेन उम्र 22 वर्ष
4– पुष्पेन्द्र प्रसाद सेन तनय स्व. सूर्यभान सेन उम्र 18 वर्ष
5– रामस्वयंबर सेन तनय रामकुमार सेन उम्र 42 वर्ष
6– देवलाल तनय स्व. रामकुमार सेन उम्र 38 वर्ष
सभी निवासी ग्राम कंदैला, तहसील मनगवां, जिला रीवा म0प्र0

.....
निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1– रामगोपाल तनय छोटका चर्मकार सा.धुधकी, तहसील सिरमौर,जिला रीवा म.प्र.
2– रामदयाल तनय स्व. बुद्धा चर्मकार उम्र 45 वर्ष
3– दीनानाथ तनय स्व. बुद्धा चर्मकार उम्र 42 वर्ष
4– छोटेलाल तनय स्व. बुद्धा चर्मकार उम्र 40 वर्ष
5– जगमोहन तनय स्व. बुद्धा कर्मकार उम्र 35 वर्ष
6– म0प्र0 शासन

.गैरनिगरानीकर्ता गण

.....

श्री दिवाकर त्रिपाठी अभिभाषक, आवेदकगण
श्री देवेश मिश्रा अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24–11–2015 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण क0 4395–तीन/13 अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा अपील प्रकरण कमांक 604/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 12–11–13 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में दायर हुआ है।

2 प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है। निगराकार पक्ष को नायब तहसीलदार सिरमौर, वृत्त बैकुण्ठपुर जिला रीवा ने ग्राम धोधकी की शासकीय भूमि खसरा कमांक–593 का अंश रकवा 0.300 आरे तथा 594 का अंश रकवा 0.30 आरे का अतिकमण व्यवस्थापन आदेश दिनांक 23–11–85 को पारित किया जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अपील हुई । अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 16–11–87 को उनके प्रकरण कमांक 2/अ–19/85–86 में आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों से निगराकार पक्ष का नाम निरस्त कर शासन का नाम अंकित किए जाने का आदेश दिया। इसके विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष द्वितीय अपील हुई, जिसमें उन्होंने प्रकरण कमांक 604/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 12–11–13 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रख अपील खारिज की। अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में दायर हुई।

3 मेरे द्वारा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में निगरानी मेमो में लिखे बिन्दुओं को दोहराया एवं यह कहा कि विषयांकित खसरे नम्बर 593 एवं 594 पर अन्य व्यक्ति विद्यावती आदि के नाम को हटाकर भी शासन क्यों नहीं दर्ज किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि गैरनिगराकारगण जब विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार के समक्ष पक्षकार थे ही नही तो वे अपील कैसे कर सकते हैं।

अनावेदक अभिभाषक ने अपने तर्क में कहा कि विषयांकित भूमि पर अनावेदक 2 से 5 के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के मकान भी बने हैं तथा निगराकार संबंधित गॉव के स्थयी निवासी नहीं हैं, अतः अपर आयुक्त का आदेश सही है।

आवेदक अभिभाषक ने प्रतिउत्तर में कहा कि खसरे में किसी का मकान नहीं लिखा है, तथा यदि निगराकारगण का मकान है तो अन्य व्यक्तियों के मकानों की अनदेखी कैसे की जा सकती है।

4 तर्कों एवं अभिलेखों के प्रकाश में प्रकरण में मुख्य विचार योग्य बिन्दु निम्नानुसार बनते हैं–

(1) अपीलीय न्यायालयों के निर्णयों में उन कारणों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर उन्होंने वादग्रस्त भूमि पर से निगराकार पक्ष का नाम हटा कर शासन दर्ज करने संबंधी अपने निष्कर्ष निकाले हैं। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 2/अ–19/85–86 में पारित आदेश दिनांक 16–11–87 में उन्होंने यह स्पष्ट लिखा है कि निगराकार पक्ष के पूर्वज रामकुमार के आवेदन पर मात्र एक दिन में व्यवस्थापन आदेश दिनांक 23–11–85 पारित किया गया, उद्घोषणा पत्र उस पूर्व दिनांक 22–10–85 का दिखाया गया जब प्रकरण चालू ही नहीं था, यह नहीं देखा गया कि हितग्राही के पास किस–किस ग्राम में कितनी भूमि है, तथा ग्राम में निस्तार हेतु विशेष कर हरिजन आदिवासियों, श्मशान के लिए भूमि है या नहीं इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया और व्यवस्थापन आदेश पारित कर दिया गया। इन कारणों से अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 23–11–85 अवैधानिक पाकर निरस्त किया। अपर आयुक्त ने भी उनके प्रकरण कमांक–604/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 12–11–13 में समान कारणों का उल्लेख करते हुए समवर्ती निष्कर्ष निकाल कर द्वितीय अपील खारिज की है। इन बिन्दुओं की पुष्टि उपलब्ध अभिलेख से होती है।

(2) अपीलीय न्यायालयों के आदेशों में इस बात पर विचार कर निष्कर्ष निकाले जाने दृष्टिगोचर नहीं होते कि विषयांकित खसरा कमांक 593 एवं 594 के विभिन्न अंशों/ बटांकों पर अन्य व्यक्तियों के कब्जे यदि हैं तो किन आधारों पर हैं, क्या उन पर निगराकार पक्ष अथवा अन्य किन्हीं व्यक्तियों ने मकान आदि के माध्यम से कब्जा किया हुआ है या नहीं, एवं यदि किन्हीं भू–अंशों पर अप्राधिकृत कब्जा या निर्माण है तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। निगराकार पक्ष द्वारा यह बिन्दु इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया है।

5 उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा निगराकार पक्ष के हित में नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 23–11–85 द्वारा दिये गये स्थयी पट्टे को निरस्त करने के निष्कर्ष को पूर्ववर्ती पैरा 4(1) में लिखे कारणों के प्रकाश में सही पाता हूँ।

साथ ही अपर आयुक्त को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय का प्रकरण कमांक–604/अपील/06–07 पुनः खोलें एवं उसमें उपरोक्त पैरा 4(1) में निकाले जा चुके निष्कर्ष के साथ–साथ उपरोक्त पैरा 4(2) में लिखे गये बिन्दुओं पर भी परीक्षण कर विवेचना करते हुए बोलते हुए निष्कर्ष अभिलिखित करें। ऐसा करते समय अपर आयुक्त इस बात पर ध्यान दें कि क्या विषयांकित भूमियों पर जिन भी व्यक्तियों का मकान अथवा अन्य माध्यम से कब्जा है, क्या ऐसा कब्जा करने के लिए उन्हें विधिवत शासकीय/न्यायालयीन आदेशों से अधिकृत किया गया है या नहीं, क्या वे ऐसे कब्जे, पट्टे आदि के लिए पट्टा दिनांक को समस्त दृष्टिकोणों से पात्र थे या

नहीं, क्या ऐसे समस्त व्यक्तियों को जारी पट्टे आदि के आदेशों के पूर्व विधिवत जांच करके यह देखा गया था कि ग्राम में निस्तार, श्मशान, हरिजन आदिवासी आदि के लिए पर्याप्त भूमि है या नहीं, इत्यादि। इस प्रकार परीक्षण, विवेचना एवं निष्कर्ष निकालने की कार्यवाही के दौरान यदि अपर आयुक्त को ऐसा लगता है कि उन्हें उनके इसी प्रकरण के पूर्व आदेश दिनांक 12–11–13 पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है तो वे, समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए एवं बोलते हुए निष्कर्ष अभिलिखित कर, ऐसा करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

अपर आयुक्त उपरोक्तानुसार उनके न्यायालय के प्रकरण कमांक–604/अपील/06–07 में नवीन आदेश इस आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम 6 माह के भीतर अनिवार्यतः पारित करें। तब तक के लिए अपर आयुक्त द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12–11–13 प्रभावहीन रहेगा।

इन निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस हों। प्रकरण दा.रि.हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर